टोडाभीम न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

[illegible]नं. 10/16 ता.रजू. 28.3.16

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

श्रीमति रामपति देवी ~~[illegible]~~ पुत्री बद्रीप्रसाद जाति मीना निवासी गोरड़ा तहसील टोडाभीम (प्रार्थिया)

बनाम

1. भरोसी पुत्र सावल
2. रामनाथ पुत्र सावल
3. रघुनाथ पुत्र सावल
4. शिवनाथ पुत्र सावल
5. कौशल्या पत्नि सांवल
6. मल्ला पुत्र हरभजन
7. सुखराम पुत्र हरभजन
8. किस्तूरी बेवा हरभजन

समस्त जाति मीना निवासी गोरड़ा तहसील टोडाभीम

9. तहसीलदार टोडाभीम

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रार्थिया)
श्री विजय भारती एडवोकेट (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 16.9.16

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि ग्राम गोरड़ा की भूमि हाल खसरा नम्बर 453 रकबा 0.12 हे० तथा 453/1684 रकबा 0.04 हे० साबिक खसरा नम्बर 103 से बने है। हाल भूमि खसरा नम्बर 453 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी है किन्तु हाल खसरा नम्बर 453/1684 की खातेदारी अप्रार्थी नं. 1 ता 8 के नाम दर्ज करदी है जो गलत है। यह भूमि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। भू प्रबंध विभाग ने दौराने सेटलमेन्ट गलत रूप से बटा नम्बर डालकर व डोटेड लाईन डालकर यह खसरा नम्बर दर्ज किया है।

(लगातार)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

जबकि प्रार्थिया दोनों खसरा नम्बरान पर सेटलमेन्ट कार्यवाही से पूर्व से ही काबिज है। बाऊन्ड्री बाल हो रही है मौके पर एक ही खेत बना हुआ है पक्का कमरा बना हुआ है। इस प्रकार ख.नं. 453/1684 रकबा 0.04 है० की खातेदारी अपने हक मे कराने के हकदार है। प्रार्थी महिला है जिनको इस प्रबंध की इस गलत कार्यवाही की जानकारी नहीं हो पाई पटवारी हल्का के पास दिनांक 28.7.15 को विवादित भूमि की रिकार्ड की जानकारी करने गई तब इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। अप्रार्थीगण से दिनांक 18.3.16 को कहा कि भाईयों मेरी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 453/1684 की खातेदारी तुम्हारे नाम गलत हो गई है तहसील मे चलकर के इसकी खातेदारी मेरे नाम करा दो इस पर वो इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। प्रार्थिया का प्रथम द्रष्टया केस साबित है। यदि प्रार्थिया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थिया को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः ख.नं. 453/1684 रकबा 0.04 है० ग्राम गोरडा मे प्रार्थी के कब्जे काश्त में रुकावट न करने तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को पाबंद करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी 6, 7, 8, 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए, इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण 1 ता. 5 की ओर से श्री विजयभारती एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जबाब पेश किया। प्रार्थना पत्र सायला ने गलत पेश किया। हाल ख.नं. 453/1684 साबिक खसरा नम्बर 104 से बना है जिस पर अप्रार्थीगण 1 ता 5 का सैंकड़ो सालों से कब्जा है काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। सायला का दिनांक 18.3.16 की बात बिलकुल गलत दर्ज की है खसरा नम्बर 453/1684 रकबा 0.04 है० की खातेदारी गिरदावरी अप्रार्थीगण 1 ता 5 के नाम है। प्रार्थिया रसूखदार परिवार से है जो जबरदस्ती लट्ठ के बल पर उक्त आराजी को हड़पना चाहती है। श्रीमान जी के द्वारा दो बार पत्थर गढ़ी के आदेश हो चुके हैं और आदेश अनुसार पत्थर गढ़ी हो चुकी है। प्रार्थिया व उसके परिवारजन ने उक्त

(लगातार)

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) सत्यमेव जयते

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पत्थर गढ़ी को हटा दिया। अतः गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हाल आराजी खं नं 453 रकबा 0.12 है० , 453/1684 रकबा 0.04 है० साबिक खं नं 103 से बने हैं किन्तु खं नं 453/1684 रकबा 0.04 है० की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज करदी है। उक्त भूमि पर सायला का कब्जा काश्त है। जबकि गैरसायलान को कोई संबंध किसी प्रकार से नही है इसलिए ता दावा फैसला गैर-सायलान को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। वकील गैरसायलान 1ता.5 ने कथन किया कि सायला ने यह प्रार्थना पत्र बिलकुल गलत पेश किया है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो ने मौका एवं रिकार्ड के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 453/1684 रकबा 0.04 है० साबिक खसरा नम्बर 104 से सही बनाये हैं। खातेदारी एवं कब्जा काश्त गैरसायलान के नाम दर्ज है। सायला का कोई संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है। जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर उक्त जमीन को हथियाना चाहती है अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 173 मे खसरा नम्बर 453/1684 रकबा 0.04 है० की खातेदारी गैरसायलान 1ता.8 के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 103 से नही बना है साबिक खसरा नम्बर 104 से बना है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043-2062 की नकल से यह तथ्य प्रमाणित होता है। साबिक खसरा नम्बर 104 की जमाबंदी संवत् 2034-2037 मे खातेदारी गैरसायलान के पूर्वजों के नाम दर्ज है। सायला ने कोई भी पुख्ता दस्तावेज किसी प्रकार का प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रथम दृष्टया - खसरा नम्बर 453/1684 रकबा 0.04 है० की

(लगातार)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(5)

खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया सायला का केस साबित नहीं है।

सुविधा का संतुलन - खातेदारी एवं कब्जा काश्त सायला के पक्ष मे प्रमाणित नही होने से सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में नहीं है।

अपूर्तनीय क्षति - यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो सायला के विपरीत गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति अधिक होने की संभावना है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित नहीं समझता हूं।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायला का खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.9.16 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोडाभीम (करौली)

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner